

पर्चा डिक्री

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.  
मुकदमा संख्या :- 297/2023 अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीएक्ट  
केसर पत्नी गुलाबसिंह जाति मेघवाल निवासी चक 15 बीपीएम हाल मोधूनगर तहसील  
रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. ओम कला पत्नी भजनलाल जाति मेघवाल निवासी चक 2 जेडडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. प्यारीदेवी पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी गाहडु तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री टिकुराम सुडा- वकील वादी  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 27.11.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त वकील वादी टिकुराम सुडा व राजपेरोकार की उपस्थिति में वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री करते हुए घोषणा की जाती है कि:-

1. प्रतिवादी सं. 2 प्यारीदेवी को चक 1 जेडडब्ल्यूएम के प.नं. 132/386(74) कि.नं. 16, 17, 24, 25, प.नं. 133/387(85) कि.नं. 1/0.101 है., 2/0.101 है., 3/0.101 है., 4/0.101 है., 5/0.102 है. कुल 1.518 है. भूमि की,
2. प्रतिवादी सं. 1 ओमकला को चक 1 जेडडब्ल्यूएम के प.नं. 133/387(85) कि.नं. 6/0.101 है., 7/0.101 है., 8/0.101 है., 9/0.101 है., 12/0.253 है., 20/0.253 है., 21/0.253 है., प.नं. 132/388(84) कि.नं. 16/0.177 है., 25/0.178 है. कुल 1.518 है. भूमि की,
3. वादी केसर को चक 1 जेडडब्ल्यूएम के प.नं. 132/387(84) कि.नं. 4 ता 7, 14, 15 की 1.518 है., 16/0.076 है., 25 की 0.062 है., प.नं. 133/387(85) कि.नं. 1/0.152 है., 2/0.152 है., 3/0.152 है., 4/0.152 है., 5/0.151 है., 6/0.152 है., 7/0.152 है., 8/0.152 है., 9/0.152 है., 10/0.253 है., 11/0.253 है. कुल 3.529 है. भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.11.2025 को जारी की गई।



(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
रावतसर